कार्यालय– नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद–भदोही

दिनांक 24/06/2026

पत्रांक – 521 /न0पा0परि0भ0/2026

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

समस्त ठेकेदार/फर्मो को सूचित किया जाता है नगर पालिका परिषद भदोही में *"मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना"* के अन्तर्गत निम्नानुसार स्वीकृत कार्य हेतु ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्तो बेबसाईट http://etender.up.nic.in पर दिनांक 25/06/2026 से दिनांक 15/07/2026.. तक उपलब्ध रहेगी। निविदा दिनांक 15/07/2026 अपराह्न 02:00 तक E-tender आवेदन कर सकते है। निविदा दिनांक 15/07/2026 को अपराह्न 02:30 नगर पालिका परिषद भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा विवरण निम्नवत है–

क0 सं0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना–					
1.	वार्ड नं0–03 मथुरापुर मो0 रैमलपुर हरिजन बस्ती में लाल बहादुर गौतम के मकान से विजय शंकर के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	11.82	1.18	1400	03 माह
2.	वार्ड नं0–05 अहमदगंज मो0 फुलवरियां में सन्तराम चौहान के मकान से राजेन्द्र पटेल के मकान तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	13.65	1.36	1620	03 माह
3.	वार्ड नं0–02 मामदेवपुर मो0 पिपरी में प्राथमिक विद्यालय के सामने राजेश मौर्या के मकान से पंचायत भवन होते हुए हरिजन बस्ती त्रिमुहानी तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	30.10	3.01	3560	03 माह
4.	वार्ड नं0–02 मामदेवपुर मो0 पिपरी गौतम बस्ती में मदनलाल के मकान से घबडू हरिजन के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	21.22	2.12	2510	03 माह
5.	वार्ड नं0–03 मथुरापुर मो0 रैमलपुर गौतम बस्ती में रमेश गौतम के मकान से लाल बहादुर गौतम के मकान होते हुए शोभा मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	22.44	2.24	2650	03 माह
6.	वार्ड नं0–03 मथुरापुर मो0 रैमलपुर में नई बाजार नेवादा मार्ग पर बाल मुकुन्द के मकान से राम बहादुर के मकान होते हुए नई बाजार छितौना मार्ग तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	39.90	3.99	4710	03 माह
7.	वार्ड नं0–05 अहमदगंज मो0 फुलवरियां में लल्लन प्रसाद गौतम के मकान से शीतला पटेल के मकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	31.82	3.18	3760	03 माह
8.	वार्ड नं0–08 रामरायपुर में धसकरी मार्ग पर धर्मेन्द्र राय के मकान से पप्पू डायर के मकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	24.86	2.49	2940	03 माह
9.	वार्ड नं0–09 जलालपुर उत्तरी मो0 फत्तूपुर दरगाह में नहर पुलिया से आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेन्द्र होते हुए जगदीश प्रसाद के मकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	39.95	3.99	4720	03 माह
10.	वार्ड नं0–15 मर्यादपट्टी पूर्वी मो0 पिपरी में डीह बाबा मंदिर से बनवासी बस्ती होते हुए अनिल सिंह के मकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	36.11	3.61	4270	03 माह

Scanned with OKEN Scanner

निविदा हेतु शर्तें:–

1. सशर्त निविदा मान्य नही होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क की धनराशि को निकाय के खाते में निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के बैंक खाता से जमा करते हुए UTR नम्बर अथवा पावती पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क जमा करने हेतु निकाय के खाते का विवरण निम्नवत् है–

धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाता का विवरण		निविदा शुल्क जमा करने हेतु खाता का विवरण	
Beneficiary Name	M/S Municipal Board Bhadohi	Beneficiary Name	Nagar Palika Parisha Bhadohi
Bank Name	State Bank of India	Bank Name	State Bank of India
Branch	Bhadohi	Branch	Bhadohi
Account Number	45106092829	Account Number	11193060148
IFSC Code	SBIN0001088	IFSC Code	SBIN0001088

3. निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसके उपरान्त न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न निविदा शुल्क की मूल प्रति एवं निर्धारित 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
4. बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
5. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि को निकाय के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
7. शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. कार्यो की ई–निविदा टू–बिड सिस्टम तकनीकी बिड व फाइनेन्सियलबिड में अलग–अलग अपलोड करना होगा।
9. ई–निविदा प्रकिया में तकनीकी बिड स्वीकृत होने के उपरान्त ही फाइनेन्सियलबिड पर विचार किया जायेगा।
10. ई–निविदा प्रकिया में फाइनेन्सियलबिड खुलने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर स्कैन किये हुए दस्तावेज का मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
11. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नही किये जायेगें। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं0–14/2024/692/23–07–2024 लोक निर्माण अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2024 के अनुसार (1) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई भी अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। (2) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी, जिसे ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
13. शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14. प्रत्येक निविदादाताओ स्वः घोषणा शपथ पत्र को नोटरी कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा–
    (क) 100/– रू0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी–6 का स्वः घोषणा शपथ पत्र को नोटरी कराकर।
    (ख)10/– रू0 के एकल गैर– न्यायिकस्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है का स्वः घोषणा शपथ पत्र को नोटरी कराकर।
    (ग)निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी–4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी–5 हैसियत प्रमाण पत्र निविदा की लागत से कम की न हो, की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
    (घ)निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजिकरण प्रमाण पत्र का स्व–प्रमाणित प्रति।
    (ड) निविदादाता का अधिकृत पता, ई–मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।
15. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रकिया में भाग लेने का अनुमति नही होगा।
16. निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
17. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86–2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।
18. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
20. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरो का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।
21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

23. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा / महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

25. कराये गये कार्य की गुणवत्ता की जॉच जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित अनुश्रवण समिति से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् कार्य के भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी।

26. कराये गये कार्य के पहले फिर बीच के कार्य व कराये जाने के बाद की फोटोग्राफी / विडियोंग्राफी कराकर कार्यालय में अभिलेख / पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेगें।

27. शासनादेश संख्या–1319 / नौ–9–21–45ज / 21 लखनऊ उ0प्र0 दिनांक 30 जून 2021 में दिये गये समस्त आदेशो / निर्देशों एवं नियम व शर्तो का अनुपालन निविदादाता को आनिवार्य रूप से करना होगा।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, भदोही	नसरीन जहाँ अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, भदोही